NORTH CENTRAL RAILWAY

Headquarters Office
Subedarganj, Prayagraj

Dated: [illegible].01.2024

No. 797-E/NCR/Policy/2023/Attendance Register

All PHODs / CHODs, NCR HQ office, Prayagraj,
Divisional Railway Manager AGRA, JHANSI & PRAYAGRAJ,
CWM/JHS WS, CWM/ MLR WS, CWM/ RSK/STLI, CWM/CPOH Prayagraj,
Sr.DPO AGRA, JHANSI & PRAYAGRAJ, Dy.CPO/Const PRYJ, Dy.CPO/WS/JHS,
SPO/MLR, APO /RSK/STLI, CEE/WS/ JHS, Dy.CE/WS/JHS, Dy.CMM/GSD JHANSI,
Dy.CE/ Bridge Line JHANSI AGRA, Prayagraj, Dy.CE/ TMC Line JHANSI DyCE / CSP Prayagraj, Staff Officer/RPF/NCR/HQ/Prayagraj. Dy FA&CAO/G/NCR,
Principal- ETC/ Kanpur. Principal- IRTMTC / Prayagraj, Principal- CETA / Kanpur, Principal- Supervisor Training Centre /Jhansi, Principal- Area Training Centre/Jhansi, Principal- Transportation Training Centre, Subedarganj / Prayagraj, Principal- Basic Training Centre, Loco/Jhansi, Principal- BTCC&W/Jhansi, Principal- BTC, Wagon Workshop/Jhansi, Principal- C&W training Centre/ Kanpur. Principal- Permanent Way Training Centre/JHS, Principal- Electric Training Centre/TRD/Jhansi.

Sub: उत्तर मध्य रेलवे में कार्यरत कर्मचारियो की उपस्थिती / अनुपस्थिति दर्ज करने, उपस्थिती पंजिका/मस्टर रोल को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समाय पर क्लोज करने व कटिंग/ओवर राइटिंग के संबंध में।

Ref: 1. उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यां. का पत्र क्रमांक 20220300708/पीसी/वी1/एन/ जेएचएस दिनांक 19.04.2023.
2. उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यां. का पत्र क्रमांक 20231202074/सी/वी1/एन/ ए.एल.डी. दिनांक 02.01.2024

*****

कृपया इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 24.04.2023 (NCRPS-6208/2023) का अवलोकन करें जिसके द्वारा उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यां./उ.म.रे. का पत्र क्रमांक 20220300708/पीसी/वी1/एन /जेएचएस दिनांक 19.04.2023 को सर्व संबंधित को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया था तथा समस्त विभागाध्यक्षों, मण्डल रेल प्रबन्धको, मुख्य कारख़ाना प्रवन्धको एवं ब्रांच अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि कर्मचारियो की उपस्थिती / अनुपस्थिति दर्ज करने, उपस्थिती पंजिका/मस्टर रोल को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर क्लोज करने व कटिंग / ओवर राइटिंग के संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों का अधीनस्थ कार्यालयो में कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने बाबत आग्रह किया गया था।

सतर्कता विभाग द्वारा उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले डिपो में सतर्कता जांच के दौरान पाया कि पत्र संख्या 20220300708/पीसी/वी1/एन/ जेएचएस दिनांक 19.04.2023 का पालन नहीं किया जा रहा है।

उत्तर मध्य रेलवे के समस्त विभागाध्यक्षों, मण्डल रेल प्रबन्धको, मुख्य कारखाना प्रबन्धको एवं ब्रांच अधिकारियों से पुनः अनुरोध है की कर्मचारियो की उपस्थिती / अनुपस्थिति दर्ज करने, उपस्थिती पंजिका/मास्टर रोल को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर क्लोज करने व कटिंग / ओवर राइटिंग के संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा पत्र संख्या 20220300708/पीसी/वी1/एन/ जेएचएस दिनांक 19.04.2023 के अंतर्गत दिये गए दिशा निर्देशों का अधीनस्थ कार्यालयो में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने बाबत निर्देशित करें। इस संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा जारी पत्र सं. 20220300708/पीसी/वी1/एन/ जेएचएस दिनांक 19.04.2023 एवं 20231202074/सी/वी1/एन/ ए.एल.डी. दिनांक 02.01.2024 की पति अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु पुनः भेजा जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

(जितेंद्र सिंह)
सहा.कार्मिक अधि।/मुख्या.
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

C/- Secretary to GM for kind information to General Manager.
C/- Secretary to AGM for kind information to AGM.
C/- All Personnel Officer in HQ.
C/- All Recognized Union and Associations.

उत्तर मध्य रेलवे

गोपनीय

पत्र संख्या:20231202074/सी/वी1/एन/ए एल डी

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
सूबेदारगंज, प्रयागराज

दिनांक : 02.01.2024

पी सी पी ओ/उ म रे/प्रयागराज
मंडल रेल प्रबंधक
उत्तर मध्य रेलवे , प्रयागराज,झाँसी व आगरा

बिषय: प्रणाली सुधार/10/2023 ,पत्र संख्या :20220300708/पी सी/वी1/एन /जे एच एस दिनांक 19.04.2023 का अनुपालन नही होने के संबंध मे।

सतर्कता विभाग,उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज द्वारा उपरोक्त बिषयांकित के अनुपालन हेतु पी सी पी ओ/उ म रे/प्रयागराज, मंडल रेल प्रबंधक/उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज,झाँसी व आगरा को पत्र भेजा गया था परंतु उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले एक डिपो मे सतर्कता जांच के दौरान यह संज्ञान मे आया कि उपरोक्त पत्र का अनुपालन नही किया जा रहा है ,हो सकता है कि अन्य कार्यालय/डिपो मे भी सतर्कता द्वारा जारी प्रणाली सुधार/10/2023 का अनुपालन नही किया जा रहा हो ! जिस पर सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा आपत्ति / नाराजगी व्यक्त की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रणाली सुधार/10/2023 का अनुपालन उत्तर मध्य रेलवे परिक्षेत्र मे आने वाले सभी विभाग के संबन्धित कार्यालयों /इकाइयों /डिपो मे strictly implement कराये जाने हेतु दिशानिर्देश जारी करने की व्यवस्था करें जिससे की उक्त के संबंध मे हो रही अनियमितता को सुधारा जा सके।

कृपया पत्र पावती के 15 दिन के अंदर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय अवगत कराने की व्यवस्था करें।

संलग्नक: यथोक्त

(हरीश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधि. /या
कृते महाप्रबंधक,सतर्कता

Dy CPO/HQ

CPO/A

PCPO 5/1/24

Chost Policy

(3)
165

प्रणाली सुधार/10/2023

प्रधान कार्यालय,
सतर्कता शाखा
सूबेदारगंज,
प्रयागराज

पत्र संख्या :20220300708/पीसी/वी1/एन/जे एच एस

पीसीपीओ/उ. म. रे./प्रयागराज
मण्डल रेल प्रबन्धक
उ. म. रे., प्रयागराज,झाँसी,आगरा

दिनांक: 19.04.2023

बिषय : उत्तर मध्य रेलवे मे कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिती/अनुपस्थिति दर्ज करने ,उपस्थिती पंजिका/मस्टर रोल को प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समय पर क्लोज करने व कटिंग/ओवरराइटिंग के संबंध मे।

उत्तर मध्य रेलवे सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त विषय पर उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मंडल के डिपो/कार्यालय मे किए गए सतर्कता निवारक जांच के दौरान यह संज्ञान मे आया कि उक्त डिपो मे कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिती पंजिका मे उनके हस्ताक्षर न कराकर उनके नाम के कालम मे पर्यवेक्षकों द्वारा उपस्थिती/अनुपस्थिति 'P'/'A' लिखकर दर्ज की जाती है जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि वास्तव मे कोई कर्मचारी उक्त कार्य दिवस पर कार्यालय मे उपस्थित हुआ है या नही। इस कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु कर्मचारियों की उपस्थिती पंजिका पर स्वयं कर्मचारियों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाना चाहिए जो कर्मचारी व पर्यवेक्षक दोनों के हित मे उचित प्रतीत होता है।

उक्त उपस्थिती पंजिका पर किसी पर्यवेक्षक/अधिकारी द्वारा उक्त कार्यदिवस मे उपस्थित/अनुपस्थित कुल कर्मचारियों कि संख्या लिखकर एवं अपने हस्ताक्षर करके क्लोज भी नही किया जा रहा है,जिससे किसी कर्मचारी के किसी भी कार्यदिवस मे कार्यालय न आने कि स्थिति मे, उक्त पंजिका मे उसके नाम के सम्मुख/कालम को उस दिवस विशेष मे यदि खाली छोड़ दिया जाता है तो बाद मे manipulate करते हुए उसकी उपस्थिती दर्ज/मार्क करने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।इस कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित समय पर हस्ताक्षर उपरांत कुल उपस्थित/अनुपस्थित,अवकाश,सहित कर्मचारियों की संख्या दर्शाते हुए पर्यवेक्षक के तिथि सहित हस्ताक्षर होना उचित होगा ।

उक्त मस्टर रोल/ उपस्थिती पंजिका पर कटिंग/ओवरराइटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग पाया गया है जिससे यह दर्शाता है कि मस्टर रोल/उपस्थिती पंजिका मे manipulate की संभावना से इंकार नही किया जा सकता ,इस कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु पूर्णरूप से कटिंग/ओवरराइटिंग व व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित किया जाना चाहिए जो कर्मचारी,पर्यवेक्षक एवं प्रशासन के हित मे उचित प्रतीत होता है। ऐसी कमियाँ हो सकता कि अन्य यूनिट्स मे भी हो रही होंगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध मे मौजूदा विभिन्न दिशा निर्देशों को सभी संबन्धित इकाइयों मे समय समय पर ड्राइव का आयोजन कराने हेतु निर्देशित करने कि व्यवस्था करें जिससे कि उक्त के संबंध मे हो रही अनियमितताओं को सुधारा जा सके।

इसे वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(हरीश कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधि./यां.